

सरकारी कर्मचारी द्वारा स्व-प्रमाणन के लिए प्रपत्र

Proforma for self – certification by the Government employee

- I. श्री/श्रीमती/कुमार _____ (सरकारी कर्मचारी का नाम) यह पुष्टि करना चाहता/चाहती हूँ कि मैं _____ (गृह नगर/भारत में कोई स्थान) LTC का उपयोग कर रहा/रही हूँ, स्वयं/परिवार के सदस्य (ओं) के लिए, ब्लॉक वर्ष _____ के तहत _____ (यात्रा का स्थान) जाने के लिए, _____ (यात्रा की तिथियाँ) के दौरान। यह कहा गया है कि मैंने या उस परिवार सदस्य ने जिसके लिए मैं LTC का लाभ ले रहा/रही हूँ, वर्तमान ब्लॉक में इससे पहले इसका लाभ नहीं लिया है।

Sh./Smt./Kr. _____ (Name of the Govt. servant) wish to confirm that I am availing _____ (Home Town/ Any Place in India) LTC in respect of self / family member(s) for the block year _____ to visit _____ (Place of visit) during _____ (dates of journey). It is stated that I or the family member for whom I wish to avail LTC has/have not availed of the same before in the present block.

- II. जिन परिवार के सदस्य (ओं) के लिए अवकाश यात्रा रियायत (LTC) का दावा किया जा रहा है, उनके विवरण इस प्रकार हैं:
The Particulars of members of family in respect of whom the Leave Travel Concession is being claimed are as under :

Sr.No क्रम संख्या	Name(s) नाम	Age आयु	सरकारी कर्मचारी से संबंध Relationship with the Govt. Servant

- III. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्य सत्य हैं और कोई भी झूठी जानकारी देने पर मुझे CCS (LTC) नियम, 1988 के नियम 16 और संबंधित अनुशासनात्मक नियमों के तहत उचित कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

It is certified that the above facts are true and any false, statement shall make me liable for appropriate action under Rule 16 of CCS (LTC) Rules , 1988 and the relevant disciplinary rules.

नोट: सरकारी कर्मचारी यदि चाहे तो LTC का लाभ उठाने के दौरान यात्रा स्थल के बारे में दिलचस्प जानकारी और चित्र साझा कर सकते हैं, यदि कोई हो, उपयुक्त मंच पर।

*N.B.: The Government employee may share interesting insights and pictures, if any, of the destination visited while availing LTC on an appropriate forum.